ज्ञापांक–207/तक0/2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–15वीं जनवरी 2020

सेवा में,

श्रीमती पुजा ठाकुर, श्री परमेन्द्र मोहन ठाकुर,
श्री मिथिलेश कुमार झा,
बेलाबगान नियर पुराना फायर ऑफिस,
देवघर, जसीडीह रोड।

विषयः– **मौजा–बेलाबगान, प्लॉट नं0– 01, 02, 03, खाता नं0– 17/1, वार्ड नं0–08, थाना नं0–257, जिला–देवघर में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–24 दिनांक–11.01.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु बीस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के सामने वाले भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन के सभी स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150mm डाया वाले एक–एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट, सतही एवं प्रथम तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
8. प्रस्तावित भवन के सतही तल एवं प्रथम तल को एड्रेसेबल डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
9. 2250 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
12. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
13. जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
15. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
16. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।

Rajbir Infra Projects
Bimal Kumar Agrawal
Partner

17. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद डी०सी०पी० एवं 04.5 के०जी० क्षमता के सी०ओ०टू० 04-04 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
19. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
20. प्रस्तावित बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. प्रस्तावित भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
22. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
23. प्रस्तावित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
24. किसी एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
25. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
27. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

BANDHU
ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON, serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cf af87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002, 2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b 044a06198bba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.01.15 17:04:55 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

Rajbir Infra Projects
Bimal Kumar Agrawal
Partner